मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्ण विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3–3/85 पार्ट–II दिनांक 17.1.1999 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ के अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास में निम्नलिखित मन्दिर अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अमर नाथ वर्मा	9.3.2006 से 12.10.2007 तक
2	श्री टी0डी0 भारद्वाज	22.11.2007 से 2.6.2008 तक
3	श्री वी0एस0 लगवाल	4.6.2008 से 28.2.2010 तक
4	श्री शमशेर सिंह	15.3.2010 से 3.9.2012 तक
5	श्री डी0सी0 ठाकुर	3.9.2012 से 15.5.2015 तक
6	श्री वचित्र सिंह ठाकुर	10.7.2015 से अद्यतन

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	संदिग्ध दुर्विनियोजन	6	0.33
2	सावधि जमा में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	7	2.72
3	सावधि जमा में निवेशित राशियों पर आयकर (T.D.S.) के रूप में अनाधिकृत कटौती	8	1.34
4	न्यास द्वारा गत 3 वर्षों में मन्दिर के पुश्तैनी पुजारियों को हिस्से के रूप में किये गये भुगतान से आयकर (T.D.S.) की कटौती न करना	9	4.39

5	श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ की पार्किंग नं0 2 से कम वसूली करना	13	0.50
6	संदिग्ध भुगतान	17	0.74
7	अनुचित भुगतान	18	2.00

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ के अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 23.1.2017 से 28.3.2017 के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह चयनित किए गएः–

वर्ष	आय	व्यय
2006	8/2006	7/2006
2007	8/2007	2/2007
2008	4/2008	3/2008
2009	8/2009	3/2009
2010	8/2010	2/2010
2011	8/2011	8/2011
2012	8/2012	7/2012
2013	8/2013	12/2013
2014	7/2014	9/2014
2015	7/2015	9/2015
2016	7/2016	12/2016

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के लेखाओं का अंकेक्षण मन्दिर न्यास द्वारा प्रेषित सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 9.3.2006 से 31.12.2016 के वर्तमान लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹47000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में

जमा करवाने के लिए मन्दिर न्यास को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29, दिनांक 27.3.2017 द्वारा अनुरोध किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को ड्राफ्ट संख्या COD/18-456656 दिनांक 10.4.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट"क"** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय चढ़ावा	अन्य आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तशेष
2006	339683	1790433	492044	20102	2642262	1647664	994598
2007	994598	2085638	–	41909	3122145	2069919	1052226
2008	1052226	2475170	–	27078	3554474	2044807	1509667
2009	1509667	2590117	25372	44213	4169369	1698158	2471211
2010	2471211	3052782	–	610946	6134939	1924314	4210625
2011	4210625	3267016	–	129989	7607630	2183809	5423821
2012	5423821	4481749	–	428682	10334252	2778393	7555859
2013	7555859	4545327	–	389627	12490813	3384362	9106451
2014	9106451	5707032	–	1038387	15851870	3758303	12093567
2015	12093567	7064443	–	154402	19312412	5713285	13599127
2016	13599127	9707963	–	1487826	23794916	5496944	18297972

दिनांक 31.12.2016 को मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ की रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष ₹18297972 था। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच पड़ताल पर कई वित्तीय कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है और अंकेक्षण अनुसार मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति अनुसार रोकड़ बही का अन्तशेष ₹20928833 बनता है जिसका विवरण बैंक समाधान विवरणिका में दिया गया है। अतः अन्तर ₹2630861 को बैंक समाधान विवरणिका अनुसार रोकड़ बही में दर्ज किया जाये और मन्दिर न्यास की सही वित्तीय स्थिति को रोकड़ बही में परिलक्षित किया जायें।

(ख) बैंक समाधान विवरणिकाः–

	Particulars	Debit	Credit
(i)	Balance as per cash book as on 31.12.2016	₹18297972	-
(ii)	Income directly into bank during 5/2007 but	₹43962	-

	not taken in cash books (18903+25059)		
(iii)	Interest credited on 03/2008 to 09/2008 but not accounted for in cash book PNB A/C No. 15965 ₹5851 KCCB A/C No. 565 ₹6464 KCCB A/C No. 661 ₹1917 KCCB A/C No. 692 ₹2348	₹16580	-
(iv)	Cheque No. 268821 Dt. 30.12.16 issued from UCO Bank A/C 2933 but not cleared	₹28495	-
(v)	Old FDR"s not taken in cash Book Name of Bank — FDR No. — Amount KCCB 516528 ₹814573 KCCB 582771 ₹180672 PNB 15611757 ₹15997 PNB 4193026 ₹590479	₹1601721	-
(vi)	Interest given by the KCCB in FDR"s as pointed out during audit not taken in cash Book	₹272288	-
(vii)	FDR"s (LCCB-582771) interest credited by the bank for the period 01/2010 to 12/16 not accounted for in the cash book	₹168817	-
(viii)	FDR"s interest not taken in cash book:- **period** **Amount** PNB FDR No. 15699 27.7.16 ₹94137 PNB No. 7942 8.10.16 ₹176772 PNB No. 21706 10.9.16 ₹228089	₹498998	-
(ix)	Income taken in cash book twice on dt. 14.7.2014	-	₹4250
(x)	Unreconciled Difference	-	₹5603.50
(xi)	Balance as per Pass Book and FDR"s (₹9251983.50+₹11666996)	-	₹20918979.50
	Total	**₹20928833**	**₹20928833**

(ग) सावधि जमा योजना में निवेशित राशिः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा दिनांक 31.12.2016 को ₹11666996 सावधि जमा योजना में निवेशित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न बैंकों में निवेशित राशियों को निर्धारित परिपक्वता

दिनांक पर खातों में भुनाया जाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर नियमित रूप से ब्याज अर्जित किया जा सके।

5 सोने/चाँदी की स्थितिः–

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा सोने व चाँदी की अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रस्तुत स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

(क) सोनाः–

विवरण	ग्राम	मि0ग्रा0
प्रारम्भिक शेष (9.3.2006)	193	64
वर्ष 2006 में प्राप्ति	478	–
वर्ष 2007 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2008 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2009 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2010 में प्राप्ति	6	09
वर्ष 2011 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2012 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2013 में प्राप्ति	4	91
वर्ष 2014 में प्राप्ति	24	52
वर्ष 2015 में प्राप्ति	–	–
वर्ष 2016 में प्राप्ति	–	–
दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष	707	16

(ख) चाँदीः–

विवरण	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
प्रारम्भिक शेष (9.3.2006)	27	571	–
वर्ष 2006 में प्राप्ति	–	805	–
वर्ष 2007 में प्राप्ति	20	035	–
वर्ष 2008 में प्राप्ति	–	543	–
वर्ष 2009 में प्राप्ति	–	850	–
वर्ष 2010 में प्राप्ति	1	368	–
वर्ष 2011 में प्राप्ति	1	298	–

वर्ष 2012 में प्राप्ति	–	313	–
वर्ष 2013 में प्राप्ति	1	446	800
वर्ष 2014 में प्राप्ति	–	588	790
वर्ष 2015 में प्राप्ति	–	694	470
वर्ष 2016 में प्राप्ति	–	911	357
दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष	56	424	417

नोटः– उपरोक्त के अतिरिक्त चाँदी के मलका रूपयें 2 नं0 भी स्टॉक में दर्ज है।

6 ₹0.33 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

गणना रजिस्टर (Counting Register) के पृष्ठ–82 की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 25.3.2006 को जब मन्दिर न्यास कार्यालय का श्री अमरनाथ वर्मा, सचिव एवं तहसीलदार बैजनाथ एवं अन्य मन्दिर न्यासियों की देख रेख में भौतिक निरीक्षण किया गया तो कार्यालय की अलमारियों में ₹32713 की प्राप्ति की गई जिसका विवरण गणना रजिस्टर के पृष्ठ 82 में दर्ज किया गया, जोकि निम्न प्रकार से हैः–

₹1000x4	₹4000
₹500x9	₹4500
₹100x52	₹5200
₹50x36	₹1800
₹20x40	₹800
₹10x270	₹2700
₹5x164	₹820
₹2x251	₹502
₹1x184	₹184
Coins	₹12207
कुल योग	**₹32713**

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि उपरोक्त राशि को किस बैंक खाते में जमा करवाया गया उस बारे कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ के जितने भी बैंक खाते अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये उनमें उक्त राशि को जमा नहीं करवाया गया है जिससे प्रतीत होता है कि ₹32713 का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया है जिसकी पूर्ण जाँच की जाए। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

7 सावधि जमा में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा ₹2.72 लाख कम ब्याज देनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा में निवेशित धन राशियों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित 11 नं0 एफ0डी0आर0 जोकि के0सी0सी0बी0 बैंक की बैजनाथ शाखा में थी और जिनकी परिपकवता तिथि 24.7.2016 व 21.6.2016 थी, को मन्दिर न्यास द्वारा बैंक प्रबन्धक को पत्र लिखकर पुनः 3 नं0 नई एफ0डी0आर0 में उपरोक्त 11 नं0 एफ0डी0आर0 की परिपक्वता राशि को निवेशित करने हेतु लिखा। जाँच पड़ताल पर पाया गया कि बैंक प्रबन्धक द्वारा जो 3 नं0 नई एफ0डी0आर0 मन्दिर न्यास के नाम पुनः निवेशित ₹272288 कम कर दी गई जिसका मन्दिर न्यास द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया तो न्यास द्वारा यह मामला बैंक प्रबन्धक के0सी0सीबी0 बैजनाथ से उठाया गया तो बैंक द्वारा अपनी गलती को सुधार कर उक्त 3 नं0 एफ0डी0आर0 को संशोधित कर दिया गया।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में एफ0डी0आर0 की परिपक्वता राशि की पूरी तरह से जाँच कर किसी भी प्रकार की गलती को तुरन्त बैंक प्रबन्धक के ध्यान में लाया जाए। उपरोक्त 11 नं0 एफ0डी0आर0 का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0/दिनांक	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता राशि (₹)	नई एफ0डी0आर0 सं0/दिनांक	परिपक्वता राशि (पुरानी)	परिपक्वता राशि (संशोधित)
1	792718/ 24.1.2015	478408	601292	388732/ 24.4.2016	1277744	1277744
2	792719/ 24.1.2015	119602	150323			
3	792720/ 24.1.2015	239204	300646			
4	792721/ 24.1.2015	179402	225483			
5	996184/ 21.3.2015	621490	763471	388731/ 21.6.16	1290287	1316418
6	336912/ 21.3.15	420317	516340			

7	516528 / 21.3.15	1295103	1590972			
8	336855 / 21.3.15	590782	725747	388730 / 21.6.16	3623681	3869838
9	336854 / 21.3.15	843972	1036779			
10	336853 / 21.3.15	253191	311033			
11	336852 / 21.3.15	196926	241914			
	कुल	**5238397**	**6464000**		**6191712**	**6464000**

8 सावधि जमा में निवेशित राशियों पर आयकर (T.D.S.) के रूप में ₹1.35 लाख की कटौती करनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशियों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि बैंक प्रबन्धन द्वारा परिपक्वता पर अर्जित ब्याज से आयकर T.D.S. के रूप में ₹134934 की कटौती की गई है और मन्दिर न्यास द्वारा कभी इस बारे बैंक प्रबन्धक से मामला नहीं उठाया गया जिससे T.D.S. के रूप में काटी गई राशि को पुनः प्राप्त किया जा सके। मन्दिर न्यास की यह सारी धनराशियाँ के0सी0सी0 बैंक की बैजनाथ शाखा में निवेशित थी जिसका पूरा विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 संख्या	परिपक्वता दिनांक	आयकर कटौती
1	336852	21.3.2013	3409
		21.3.2014	1691
2	336853	21.3.2013	4371
		21.3.2014	2175
3	336854	21.3.2013	14571
		21.3.2014	7249
4	336855	21.3.2013	10200
		21.3.2014	5074
5	792718	24.1.2014	4218
6	792719	24.1.2014	1054
7	792720	24.1.2014	2109
8	792721	24.1.2014	1582

9	996184	21.3.2013	18362
		24.3.2014	5338
10	516528	3.4.2011	20305
		3.4.2014	22359
11	3369125	27.8.2012	7257
		21.3.2013	3610
		कुल	**134934**

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सावधि जमा राशियों पर अर्जित ब्याज से जो के0सी0सी0 बैंक द्वारा आयकर (T.D.S.) काटा गया है, की पुनः प्राप्ति हेतु यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि बैंक प्रबन्धन से इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाए जिससे मन्दिर न्यास को जो ब्याज के रूप में ₹134934 की हानि उठानी पड़ी है कि प्राप्ति हो सके कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9 न्यास द्वारा गत 3 वर्षों में मन्दिर के पुश्तैनी पुजारियों को हिस्से के रूप में किये गये भुगतान से आयकर (T.D.S.) ₹4.39 लाख की कटौती न करनाः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा अपने पुश्तैनी पुजारियों को मन्दिर में प्राप्त चढ़ावा से 30 प्रतिशत राशि हिस्से के रूप में प्रदान की जा रही है जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप है परन्तु उक्त भुगतान की राशि में से आयकर अधिनियम की धारा 194 J के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से आयकर (T.D.S.) कटौती की जानी अनिवार्य है। आयकर अधिनियम की धारा 194 J के अन्तर्गत अगर किसी वित्तीय वर्ष में व्यवसायिक शुल्क या तकनीकी सेवा शुल्क के रूप में ₹30000 से अधिक की राशि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान प्राप्तकर्ता से 10**%** की कटौती आयकर के रूप में करके भारत सरकार के खाते में जमा करवाना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा गत 3 वर्षों में पुश्तैनी पुजारियों को ₹4389121 का भुगतान किया गया जिसका पूरा विवरण **परिशिष्ट "घ"** में संलग्न है। 10 प्रतिशत के दर से उक्त राशि पर आयकर की कटौती लगभग ₹438912 बनती है जोकि मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान से पहले नहीं की गई है।

अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है आयकर विभाग कार्यालय से यह मामला उठाया जाये और उनके सुझाव अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

10 मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹0.08 लाख का अनुचित भुगतानः–

(बिल संख्या 90, दिनांक 29.11.2016, ₹6200)

उपरोक्त बिल की जाँच पर पाया गया कि श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ के खाते से मन्दिर अधिकारी एवं तहसीलदार बैजनाथ को प्रतिमाह ₹400 का भुगतान किया जा रहा है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि तहसीलदार बैजनाथ के पास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ और महाकाल का अतिरिक्त कार्यभार भी है।

फण्डामैण्टल नियम 49 के अनुसार सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी अगर किसी सरकारी कार्यालय के अतिरिक्त कार्यभार के निर्वाहन की स्थिति में उस पद से जुड़े अन्य लाभ लेने के पात्र नहीं है। इस बारे कार्यालय आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा सचिव धर्मशाला के पत्र संख्या CT-KGR-1465 दिनांक 21.11.2011 द्वारा मन्दिर अधिकारी एवं तहसीलदार बैजनाथ की स्थिति स्पष्ट की गई है परन्तु इसके उपरान्त भी मन्दिर अधिकारी द्वारा मोंबाईल चार्जिज रूप में ₹400 प्रतिमाह प्राप्त किये जा रहे है जोकि देय नहीं थे। अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर अधिकारी को श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ के खाते से मोबाईल चार्जिज के रूप में निम्नलिखित भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**भुगतान की राशि**
1	2013	₹1600
2	2014	₹2400
3	2015	₹1884
4	2016	₹2400
	कुल योग	**₹8284**

अतः मन्दिर अधिकारी को मोबाईल चार्जिज के रूप में की गई भुगतान की ₹8284 की वसूली शीघ्र करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये और कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 (क) राधाकृष्ण मन्दिर खाते की रोकड़बही बन्द करने पर ₹0.36 लाख कम जमा करवानाः—

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा संचालित श्री राधा कृष्ण मन्दिर की अलग रोकड़ बही लगाई गई थी जिसको दिनांक 18.4.2006 को बन्द कर दिया गया और इसके उपरान्त श्री शिव मन्दिर न्यास की मुख्य रोकड़ बही में ही इस खाते से सम्बन्धित लेनदेन को दर्ज किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि दिनाँक 18.4.2006 को श्री राधाकृष्ण मन्दिर के खाते का अन्तशेष रोकड़ बही अनुसार ₹129352 था, परन्तु जब दिनांक 28.4.2006 को इस अन्तशेष मुख्य श्री शिव मन्दिर खाते में दर्ज किया गया तो कुल ₹93155 का ही रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार ₹36197 मुख्य श्री शिव मन्दिर न्यास खाते में कम जमा करवाई गई है।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि मामले की पूर्ण जाँच की जा सके और कम जमा ₹36197 की वसूली उचित स्त्रोत से की जा सके।

(ख) यूको बैंक द्वारा ₹3950 की कटौती Cash handling charges के रूप में करने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा यूको बैंक की पपरोला शाखा में खाता संख्या 30740110002933 खुलवाया गया है। रोकड़ बही की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 26.12.2016 को ₹3320 और दिनांक 31.12.2016 को ₹630 Cash Handling charges के रूप में खर्चा दिखाया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। यह राशि यूको बैंक द्वारा उपरोक्त खाते से काटी गई है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि यह मामला बैंक प्रबन्धक से उठाया जाये और काटी गई धनराशि को पुनः प्राप्त किया जाये।

12 श्री सरस्वती शर्मा (न्यासी) श्री शिव मन्दिर बैजनाथ को ₹2230 का अनुचित भुगतानः—

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2006 में निम्नविवरणानुसार ₹2230 का भुगतान श्री सरस्वती शर्मा (न्यासी) को किया गया है यह भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा चढ़ावा में प्राप्त राशि की गणना करने के लिए किया गया बताया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

दिनांक	राशि जो भुगतान की गई	विवरणी
17.8.2006	₹1500	चढ़ावा गणना अवधि 24.7.2006 से 6.8.2006 तक
17.8.2006	₹500	चढ़ावा गणना अवधि 7.8.2006 से 13.8.2006 तक
17.8.2006	₹230	चढ़ावा गणना दिनांक 15.8.2006
कुल योग	**₹2230**	

यद्यपि दिनांक 17.8.2006 के बाद इस प्रकार का कोई भी भुगतान किसी अन्य को नहीं किया गया है परन्तु श्री सरस्वती शर्मा को किये गये, भुगतान उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः ₹2230 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ की पार्किंग नं0 2 से ₹0.50 लाख की कम वसूली करनाः—

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास की पार्किंग नं0 2 श्री हरमीत सिंह सुपुत्र श्री प्रीतम सिंह, गणेश बाजार बैजनाथ को कुल ₹241000 प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2016 तक लीज पर आबंटित की गई थी, अर्थात लीजकर्ता श्री हरमीत सिंह द्वारा मन्दिर न्यास खाते में कुल ₹482000 मासिक किश्तों में जमा करवानी थी। अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2015 और 2016 में श्री हरमीत सिंह द्वारा पार्किंग नं0 2 के के0सी0सी बैंक बैजनाथ के खाता संख्या 20016010092 में कुल ₹431700 दिनाँक 21.12.2016 तक जमा करवाई गई है, उसके उपरान्त कोई भी धनराशि जमा नहीं करवाई गई है।

श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ के पत्र संख्या शि0म0न0बै0—1/2010 पार्किंग—217/46 दिनांक 15.12.2014/24.2.2016 द्वारा पार्किंग नं0 2 (नजदीक सिवल हस्पताल बैजनाथ) की नीलामी सूचना जारी की गई। नीलामी सूचना की शर्त नं0 5 के अनुसार "पार्किंग शिवरात्री मेलों, श्रावण मेलों, सरकारी कार्यक्रमों व मन्दिर प्रयोग हेतु मन्दिर प्रशासन के निर्देश पर खाली रखनी होगी। जिसकी नीलामीदाता को कोई अदायगी नहीं होगी।"

निलामीदाता श्री हरमीत सिंह द्वारा यह ₹50300 की कटौती उस अवधि के लिए की गई जिसमें पार्किंग प्रशासन द्वारा खाली करवाई गई जोकि उपरोक्त शर्त नं0 5 के अनुसार उचित नहीं है।

अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि ताकि बकाया ₹50300 की वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

14 सोलर लाईटों की खरीद बारेः—

(बिल संख्या 61, दिनांक 27.8.2015, ₹100000)

(बिल संख्या 95, दिनांक 5.12.2016, ₹50000)

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कार्यालय, मन्दिर अधिकारी श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा श्रावण सोमवार मेलों के दौरान मन्दिर परिसर तथा बैजनाथ बाजार में अप्रर्याप्त रोशनी व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए 50 नं0 सोलर लाईटस के लिए कार्यालय पत्र संख्या शि0मा0न0बै0—1/2010—189 दिनांक 10.7.2015 द्वारा सोलर लाईटस की निविदाऐं आमन्त्रित की गई। निम्नलिखित 5 फर्मों द्वारा निविदाऐं जमा करवाई गई।

(क) अंजली ईंन्टरप्राईजिज, प्रथम मंजिल डोगरा मार्किट, बैजनाथ

(ख) जे0पी0एस0 ग्रुप, गाँव व0 डा0 उस्तेहड़, तह0 बैजनाथ

(ग) गगन ईन्टरप्राईजिज—बैजनाथ

(घ) मै0 अंशुल इलैक्ट्रिकल स्टोर, उत्तराला रोड पपरोला

(ङ) मै0 दुर्गा सटर ईन्स्ट्रीज, उतराला रोड, पपरोला

निविदाओं की तुलनात्मक विवरणिका अनुसार 50 नं0 सोलर लाईटस लगवाने का कार्य मै0 दुर्गा रोलिंग सटर इन्स्ट्रीज पपरोला को Negotiation के उपरान्त, सहायक आयुक्त मन्दिर, बैजनाथ द्वारा ₹350000 में आबंटित किया गया। उपरोक्त बिलों की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनकी पूर्ण छानबीन की जाए और पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(i) ₹150000 का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में चैक संख्या 09234 दिनांक 2.8.2015 और ₹100000 का भुगतान (दूसरी किस्त) चैक संख्या 09250 दिनांक 27.8.2015 तथा ₹50000 का

भुगतान चैक संख्या 268818 दिनांक 5.12.2016 द्वारा श्री मुकेश शर्मा के नाम किया गया है। जबकि कार्य का आंबटन मै0 दुर्गा रोलिंग सटर ईन्स्ट्रीज, पपरोला के नाम किया गया था। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि किस आधार पर भुगतान श्री मुकेश शर्मा के नाम किया गया है।

(ii) अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मै0 दुर्गा रोलिंग सटर इन्डस्ट्रीज पपरोला द्वारा सोलर लाईटस की आपूर्ति हेतु कोई भी बिल मन्दिर न्यास के नाम जारी नहीं किया गया है। अतः बिना बिल के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(iii) मै0 दुर्गा रोलिंग सटर इन्डस्ट्रीज पपरोला द्वारा मन्दिर परिसर एवं बैजनाथ बाजार में कितनी सोलर लाईटस स्थापित की गई है इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसकी कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट मन्दिर न्यासियों/ट्रस्टीयों या मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रस्तुत नहीं की गई जिससे किये गये भुगतान को उचित ठहराया जा सके। अतः इस बारे अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाये।

अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) जिला कांगड़ा के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ताकि मामले की पूर्ण छानबीन की जा सके और वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

15 ₹5000 के अनुचित भुगतान बारेः–

बिल/वाउचर संख्या 66, दिनांक 22.9.2015, ₹5000/–

उपरोक्त वाउचर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास खाते से ₹5000 का भुगतान मै0 हिमाचल दस्तक मीडिया प्रा0लि0 कांगड़ा को चैक संख्या KSB-770329 द्वारा उनके बिल संख्या 46192 दिनांक 30.7.2015 के लिए किया गया। यह भुगतान श्रावण सोमवार दिनांक 27.7.2015 को श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ का विज्ञापन हिमाचल दस्तक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु किया गया था। परन्तु अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि हिमाचल दस्तक समाचारपत्र जोकि उपरोक्त बिल के साथ संलग्न किया गया था वो दिनांक 30.7.2015 (वीरवार) का था, न की 27.7.2015 (सोमवार) का था। इस समाचार पत्र में पपरोला विकास विशेषाँक प्रकाशित किया गया था और शिव मन्दिर बैजनाथ के श्रावण सोमवार का कोई उल्लेख नहीं था। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

16 अंकेक्षण के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

(बिल संख्या 64, दिनांक 10.9.2014, ₹285256)

₹285256 का भुगतान श्री विरेन्द्र कटोच, संविदाकार को चैक संख्या 843045 दिनांक 10.9.2014 द्वारा निर्माण कार्य C/O cow shed at Baijnath, work order No. 1/2013 के लिए किया गया। उक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(i) उपरोक्त निर्माण कार्य का अनुबन्ध और आबंटन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही माप पुस्तिका संख्या 1/40 प्रस्तुत की गई। केवल संविदाकार का बिल ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण भुगतान योग्य राशि की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(ii) बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मद संख्या 8 जो P/F C.G.I. Sheet roofing with J or L hooks से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार को ₹55546.40 का भुगतान (98.00m2x₹566.80) किया गया। यह मद DNIT में शामिल नहीं थी और अतिरिक्त मद की गणना व निर्धारण सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान को उचित ठहराया जा सके।

(iii) इसी प्रकार बिल की मद संख्या 12 जोकि "Brick work using common brunt clay building bricks in super-structure and C.M. 1:4" के लिए संविदाकार को ₹5502.37 का भुगतान (2.023x₹2723.95) किया गया। यह मद भी DNIT में नहीं थी। अतः इसका भी दर निर्धारण सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः माप पुस्तिका अनुबन्ध आबंटन पत्र तथा अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद निर्धारण सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत न करने के कारण श्री विरेन्द्र कटोच को किए गये भुगतान ₹285256 को सही नहीं ठहराया जा सकता है। अतः यह पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 ₹0.74 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

माह जुलाई 2006 में रोकड़ बही के पृष्ठ 15 में व्यय की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि श्री शिव मन्दिर न्यास खाते से ₹73855 का भुगतान के0सी0सी0बी0 के चैक संख्या 233112 दिनांक 27.7.2006 द्वारा मै0 न्यू हिमाचल मैटल इण्डस्ट्री कांगड़ा को किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख में केवल फर्म की दिनांक 27.7.2006 की भुगतान प्राप्ति रसीद उपलब्ध है जिसमें राशि की पावती दर्शाई गई है और यह उल्लेख किया गया है कि यह भुगतान उनके बिल संख्या 94–95 दिनांक 27.7.2006 के एवज में प्राप्त किया गया है।

जाँच में पाया गया कि बिल संख्या 94–95 दिनांक 27.7.2006 अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे और न ही किसी स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त बिलों से प्राप्त सामान का इन्द्राज पाया गया। अतः यह भुगतान किस एवज में किया गया का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त फर्म से किस सामान की खरीद की गई और किस आधार पर सामान की खरीद की गई। अभिलेख में आपूर्ति आदेश स्वीकृति इत्यादि भी उपलब्ध नहीं थे जिसके अभाव में भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सका।

अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यान में पूर्ण जाँच हेतु लाया जाता है ताकि मामले की पूर्ण जाँच करवाई जाए और वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए और कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

18 अनुचित भुगतान ₹2.00 लाख बारे

बिल संख्या 97, दिनांक 15.12.2016, ₹200000

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि बैजनाथ बाजार एवं चौबीन चौंक तथा इसके ईर्द–गिर्द ट्रैफिक लाईटों की स्थापना हेतु आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश महोदय कांगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या CT-KGR-1077-1078 दिनांक 15.12.2016 द्वारा ट्रैफिक लाईटों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ द्वारा ₹200000 का भुगतान चैक संख्या 268820 दिनांक 15.12.2016 द्वारा मै0 चामुण्डा कारपोरेशन मण्डी के नाम उनके निम्नलिखित बिलों के लिए किया गया है।

क्र0सं0	बिल संख्या	राशि
1	1109	₹99900
2	1110	₹134925
3	1093	₹256410
	कुल	**₹491235**

शेष ₹291235 का भुगतान आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा की स्वीकृति अनुसार "Planning head for the payment of Traffic lights" के अन्तर्गत D.P.O. कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय द्वारा किया गया है। उपरोक्त बिलों की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(i) अभिलेख में सिर्फ बिलों की छायाप्रतियाँ लगाई गई है जिन्हें किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। सामान की खरीद अथवा टैंडर आमन्त्रित करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की जाँच की जा सके।

(ii) ₹200000 का भुगतान मन्दिर न्यास खाते से करने बारे मन्दिर न्यास की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाना अपेक्षित था और इस व्यय को मन्दिर न्यास के खाते से वहन करने बारे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। बैजनाथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर मन्दिर न्यास की धनराशि का उपयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(iii) क्रय सामग्री को किसी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। ट्रैफिक लाईट का कार्य पूर्ण होने पर इसे पुलिस विभाग को सौंप दिया जाना अपेक्षित था जिससे भविष्य में उनके रख रखाव पर अतिरिक्त व्यय मन्दिर न्यास को न उठाया पड़े लेकिन इस बारे में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

19 **श्री कृष्ण गौशाला सुनपुर (धार–बग्गी) की तूड़ी प्राप्ती एवं खपत रजिस्टर के रख रखाव बारेः–**

श्री शिव मन्दिर न्यास बैजनाथ द्वारा सुनपुर में गौशाला का संचालन किया जा रहा है जिसमें वर्तमान में लगभग 28–30 गाये है। गौसदन के तूड़ी प्राप्ती एवं खपत रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(i) बिल संख्या 80 दिनांक 28.10.2016 के अन्तर्गत 10020 किलो तूडी की प्राप्ती की गई जिसको तूड़ी रजिस्टर में भी दर्ज किया गया परन्तु कुल योग में नहीं जोड़ा गया। जब यह मामला मन्दिर प्रशासन के ध्यान में लाया गया तो उन्होने गलती को स्वीकारते हुए उक्त तूडी की मात्रा 10020 किलो को तूडी प्राप्ती में जमा कर लिया।

(ii) तूडी खपत रजिस्टर की जाँच पर पाया गया कि माह अक्तूबर 2016 तक प्रतिपशु प्रतिदिन 5 किलो की खपत दर्शाई गई थी, परन्तु माह नवम्बर–2016 से तूडी की खपत 8 किलो प्रतिपशु प्रतिदिन दर्शाई गई। अतः महीने में लगभग 2520 किलो ज्यादा खपत दर्शाई जा रही है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(iii) जाँच पड़ताल पर पाया गया कि गौसदन में हर महीने लगभग 100 क्विंटल तूडी की खरीद भिन्न–2 दरों पर की जा रही है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि या तो तूडी की सालाना आपूर्ति के लिए टैंडर आमन्त्रित किये जाए या खरीद से पहलें निविदायें आमन्त्रित की जाये। सालाना तूडी की खरीद पर लगभग तीस लाख रूपये खर्च किये जाते हैं। अतः बिना बाजार भाव तूडी की खरीद करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस बारे शीघ्र उचित कदम उठाये जाये।

(iv) दिनाँक 7.2.2009 को ट्रक संख्या पी0बी0 06–2774 की कांटा पर्ची की जाँच पर पाया गया कि भरी गाड़ी का वजन 126.85 क्विंटल दर्शाया गया, और खाली गाड़ी का वजन 71.10 क्विंटल दर्शाया गया, अर्थात कुल 55.75 क्विंटल (126.85–71.10) तूड़ी की प्राप्ती हुई जिसका ₹300 प्रति क्विंन्टल की दर से ₹16725 भुगतान बनता था, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा चैक संख्या 107859 दिनांक 26.3.2009 द्वारा ₹17100 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार तूडी की आपूर्ति में ₹375 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 (i) बिल संख्या 68, दिनांक 25.2.2010, ₹4240

उपरोक्त बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि शिवरात्री महोत्सव 2010 के आयोजन हेतु मै0 दायामी टैन्ट हाऊस बैजनाथ से न्यूनतम संविदा के आधार पर टैन्ट हाऊस, बैजनाथ से न्यूनतम संविदा के आधार पर टैन्ट, बिस्तरे, साउंन्ड और रोशनी ईत्यादि के सामान की आपूर्ति ली गई और ₹4240 का भुगतान चैक संख्या 406484 दिनांक 25.2.2010 द्वारा किया गया।

निविदाओं की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि सामान की ढुलाई (Carriage) के लिए किसी भी अतिरिक्त धनराशि की अदायगी की कोई शर्त नहीं रखी गई थी परन्तु जो बिल मन्दिर न्यास द्वारा पारित किया गया उसमें ₹400 का भुगतान सामान ढुलाई के रूप में किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता। जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹400 की वसूली उचित स्त्रोत सें करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) बिल संख्या 63, दिनांक 22.9.2015, ₹10500

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर मन्दिर परिसर में तम्बुओं शामियानों और हैलोजन लाईट की आपूर्ति हेतु मै0 सन्नी लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस बैजनाथ को न्यूनतम संविदा के आधार पर ₹10500 का भुगतान उनके बिल संख्या 34 हेतु किया गया। निविदाओं की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि सामान की ढुलाई के लिए अतिरिक्त भुगतान की कोई शर्त नहीं रखी गई थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा ₹300 का भुगतान ढुलाई खर्चे के रूप में किया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹300 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये और कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

21 वाउचर संख्या 1 दिनांक 31.7.2006 ₹72516

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि श्री शिव मन्दिर के मन्दिर परिसर में कोटा स्टोन लगवाने हेतु मै0 वालिया मार्बल एण्ड हार्डवेयर स्पलायर ठाकुर द्वारा (पालमपुर) से उनके बिल संख्या 460 दिनांक 29.7.2006 द्वारा 782 पीस (23"x23") कोटा स्टोन के

खरीदे गये और ₹72516 का भुगतान चैक संख्या 233113 दिनांक 31.7.2006 द्वारा किया गया। उपरोक्त की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई।

(i) मन्दिर परिसर में कोटा स्टोन के निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित प्राक्कलन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ii) कोटा स्टोन की खरीद किस आधार पर की गई, इस बारे भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोटा स्टोन ₹88 प्रति पीस के दर से खरीदा गया परन्तु क्रय से सम्बन्धित निविदा इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये।

22 92 किलो चावल के दुर्विनियोजनः–

मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ कि वस्तु प्राप्ति रजिस्टर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 4.7.2016 को 45 किलो चावल की प्राप्ती हुई जिसका ईन्द्राज पृष्ठ 41 पर किया गया है। दिनांक 17.7.2016 को पुनः 47 किलो चावल की प्राप्ती का ईन्द्राज पृष्ठ 41 पर दर्ज किया गया परन्तु इस 92 किलो चावल की प्राप्ति को मुख्य स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जबकि दिनांक 18.7.2016 और 25.7.2016 को कुल प्राप्त चावल 352 किलो की बिक्री ₹15 प्रतिकिलो की दर से ₹5280 मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाई गई है।

अतः दिनांक 4.7.2016 और 11.7.2016 को प्राप्त 92 किलो चावल की बिक्री से प्राप्त ₹1380 भी खाते में जमा नहीं करवाई गई। अतः इस बारे पूर्ण जांच पड़ताल की जाये और ₹1380 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्थाई मदों के स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया गया है। स्थाई वस्तुओं का अन्त शेष भी नहीं दर्शाया गया था जब कि नियमानुसार जब भी किसी मद की खरीद की जाती है तो उसका इन्द्राज बिल विवरण ही स्टॉक रजिस्टर में किया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मन्दिर न्यास के समस्त स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

24 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा गत 10–11 वर्षों में कभी भी स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली की धारा 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः स्टॉक में पड़े सामान की अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके भविष्य में भी वार्षिक सत्यापना करते हुये कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

25 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

26 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 312/2017 खण्ड–1,–5192–5195 दिनाँक 22.08.17 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ, तह0 बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881